



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या: 92/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 06 जुलाई, 2023

अनर्ह सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी (HINDI) के कतिपय अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अनर्ह कर दिया गया है:-

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	500031	<ol style="list-style-type: none">अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
2.	500039	<ol style="list-style-type: none">अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है।विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
3.	500112	<ol style="list-style-type: none">विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 02 अंक का दावा किया गया है, परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा अवार्ड के 02 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 91 होगा। अनारक्षित श्रेणी की शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर की कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
4.	500116	<ol style="list-style-type: none">विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है, परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव के 10 अंक के दावे को सही

		<p>नहीं माना गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 91 के स्थान पर 81 होगा। अनारक्षित/उमहिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 84 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी/उमहिला के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
5.	500150	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
6.	500162	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत Ph.D परिशिष्ट-3 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है।</p> <p>3. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>4. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
7.	500179	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 10 अंक में से 09 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 91 के स्थान पर 82 होगा। अनारक्षित/उमहिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 84 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी/उमहिला के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
8.	500204	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 03 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 03 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 53 के स्थान पर 50 होना चाहिए। अ0पि0व0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
9.	500216	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक में 45 प्रतिशत का दावा करते हुए 10 अंक प्राप्त किये हैं, परन्तु अभिलेखों के साथ संलग्न स्नातक अंकतालिका के आधार पर अंक 44.67 है, जिसके लिए शून्य (00) अंक होंगे, तदक्रम API कोर 48 के स्थान पर 38 होगा।</p> <p>2. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 10 अंकों में से 09 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 38 के स्थान पर 29 होगा। अनु0 जाति/उमहिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं</p>

		<p>करती है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अनुसूचित जाति/उ० महिला के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
10	500238	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 03.03.2016 एवं 27.04.2022 के 02 ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, जिसमें प्रथम ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2016 की वैधता (03 वर्ष) दिनांक 03.03.2019 को समाप्त है तथा द्वितीय प्रमाण पत्र दिनांक 27.04.2022 जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का जारी है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ०बी०सी० श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित है।</p> <p>4. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ०बी०सी० का वैध प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
11	500253	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 60 के स्थान पर 50 होगा। अ०पि०व० श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
12	500258	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
13	500260	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
14	500376	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 03 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 03 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 90 होगा। अनारक्षित श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
15	500478	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 06, टीचिंग अनुभव के लिए 10 एवं अवार्ड के लिए 03 अंकों का दावा किया गया है परन्तु टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंकों में से 08 अंकों के दावे को एवं अवार्ड के लिए 03 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 94 के स्थान पर 83 होगा। अनारक्षित श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा पी०एच०डी० का दावा करते हुए ए०पी०आई० स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू०जी०सी० के मानक के अनुसार पी०एच०डी० की उपाधि</p>

		<p>धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है।</p> <p>3. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>4. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने, पी0एच0डी0 के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
16	500502	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अनारक्षित/उत्तराखण्ड महिला श्रेणी में दावा किया गया है, जिसके क्रम में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से स्थायी निवास प्रमाण-पत्र वांछित है।</p> <p>3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(1) के अनुसार स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
17	500526	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
18	500546	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के 52.66 प्रतिशत अंकों का दावा किया गया है, परन्तु अभिलेखों के अनुसार अभ्यर्थी की परास्नातक उपाधि से पूर्व धारित स्नातक उपाधि के अनुसार 44.15 प्रतिशत अंक हैं, जिसके क्रम में स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी का ए0पी0आई0 स्कोर 10 के स्थान पर शून्य होगा। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर में 54.89 प्रतिशत अंक के लिए 20 होगा, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा 23 अंक का दावा किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी का वास्तविक API स्कोर 48 के स्थान पर 25 होगा। अनु0 जाति श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 है जिसके क्रम में अभ्यर्थी कटऑफ में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>3. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>4. हिन्दी विषय के लिए अनुसूचित जाति के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
19	500555	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंकों का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त हेतु 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 60 के स्थान पर 50 होगा। अ0पि0व0/उ0 महिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग/उ0महिला के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
20	500556	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
21	500576	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 7.5 अंक एवं अवार्ड के लिए 03 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 7.5 अंक एवं अवार्ड के लिए 03 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93.50 के स्थान पर 83 होगा। अनारक्षित</p>

		<p>श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
22	500603	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 83 होगा। अनारक्षित श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण वांछित है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
23	500638	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 को जारी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति दी गयी है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन-2021 के लिए विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
24	500665	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 21.12.2021 का उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी ओ0बी0सी0 प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जो कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी से उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है।</p> <p>3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ0बी0सी0 श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
25	500686	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछडा वर्ग का दिनांक 26.05.2007 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि विज्ञापन के शर्तानुसार मान्य नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है।</p> <p>3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार अ0पि0वर्ग का विज्ञापन की अन्तिम तिथि से 03 वर्ष पूर्व का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
26	500779	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
27	500780	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
28	500802	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>

29	500805	<ol style="list-style-type: none"> विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 03 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में 03 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 94 के स्थान पर 91 होगा। अनारक्षित श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
30	500838	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
31	500856	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
32	500887	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
33	500889	<ol style="list-style-type: none"> विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए 06 अंकों का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में 06 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 44 के स्थान पर 38 होगा। अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित विज्ञापित के क्रम में ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः शुद्धिपत्र के बिन्दु संख्या-3 एवं 4 के क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु उक्त शुद्धिपत्र के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। पूर्व आवेदन पत्र के क्रम में अभ्यर्थी को केवल ओ0बी0सी0 श्रेणी के अन्तर्गत का API स्कोर 44 है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी ओ0पी0व0 श्रेणी के API कटऑफ स्कोर 52 में स्थान धारित नहीं करता है। ओ0बी0सी0 श्रेणी की कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण एवं दिव्यांगजन हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या-3 एवं 4 के क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
34	500946	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06.12.2019 एवं दिनांक 26.12.2020 को जारी जो वर्ष 2019-20 हेतु 02 ई0डब्ल्यू0एस0 (EWS) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है, जो विज्ञापन के शर्तानुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय की गणना के आधार पर जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/आख्या वांछित है। असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(1) के अनुसार EWS का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
35	500994	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।

		3. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
36	501040	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
37	501094	1. अभ्यर्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का EWS प्रमाण पत्र जो दिनांक 18 अगस्त, 2021 में जारी प्रस्तुत किया गया है। 2. अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय की गणना के आधार पर जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/आख्या वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(1) के अनुसार EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
38	501210	1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है। 3. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
39	501257	1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 30.09.2016 एवं 25.04.2022 के 02 ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, जिसमें प्रथम ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 की वैधता (03 वर्ष) दिनांक 30.09.2019 को समाप्त है तथा द्वितीय प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2022 का है जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का जारी है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं 10(7) के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
40	501262	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
41	501356	1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र है। 3. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
42	501368	1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 02 अंक का

		<p>दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में 02 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 52 के स्थान पर 50 होगा। अ0पि0व0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. अभ्यर्थी द्वारा भारत सरकार के पदों पर निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रमाण पत्र जो उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 10.09.2020 को जारी प्रस्तुत किया गया है। 3. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है। 4. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं 10(7) के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं अ0पि0व0 श्रेणी की कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
43	501377	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें टीचिंग अनुभव हेतु किये गये 10 अंक के दावे तथा अवार्ड के लिए किये गये 03 अंक के दावे को विषय-विशेषज्ञों द्वारा सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 80 होना चाहिए। अनारक्षित श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
44	501389	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है। <p>1. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
45	501405	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 21.12.2021 एवं 10.01.2022 के 02 ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, जिसमें प्रथम ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.2021 भारत सरकार की सेवाओं हेतु है तथा द्वितीय प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2022 जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का जारी है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ0बी0सी0 का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
46	501504	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 06 अंकों एवं

		<p>टीचिंग अनुभव के लिए 10 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के लिए किए गये 06 अंकों में से 02 के दावे को एवं टीचिंग अनुभव के लिए किए गये 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 91 के स्थान पर 79 होना चाहिए। अनारक्षित/उ0म0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 84 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(1) के अनुसार उत्तराखण्ड महिला के आरक्षण के दावे हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अनारक्षित/उ0महिला श्रेणी की कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
47	501511	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
48	501541	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
49	501545	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 02 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 52 के स्थान पर 50 होना चाहिए। अ0पि0व0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
50	501555	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है।</p> <p>2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
51	501621	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
52	501627	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 06 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी का टीचिंग अनुभव को शून्य माना जाये। शिक्षक अनुभव के 06 अंक के स्थान पर शून्य अंक दिये गये हैं।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा जे0आर0एफ0 के लिए 10 अंक का दावा किया गया है, परन्तु प्रमाण पत्र नेट का प्रस्तुत किया गया है। नेट के लिए 08 अंक है। तदक्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 58 के स्थान पर 50 होगा। अ0पि0वर्ग/उ0म0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>3. हिन्दी विषय के लिए अ0पि0वर्ग/उ0म0 श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>

53	501696	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक वर्ष 2018-19 में उत्तीर्ण किया है तथा पी0एचडी0 की उपाधि दिनांक 25.05.2017 में प्रदान की गई है। 2. अभ्यर्थी से पी0एचडी0 उपाधि के पूर्व धारित की गयी परास्नातक की अंकतालिका एवं उपाधि की वांछित है। 3. पी0एचडी0 उपाधि के पूर्व धारित परास्नातक की अंकतालिका एवं उपाधि प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
54	501720	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए ओ0बी0सी0 प्रमाण दिनांक 08.03.2022 एवं देवभूमि जनसेवा केन्द्र की दिनांक 23.12.2021 की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी गयी है। अ0पि0वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का प्रस्तुत किया गया है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
55	501792	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
56	501807	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 8 अंकों के दावे में से 2 अंक के दावे को एवं अवार्ड के लिए किये गये 3 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 55 के स्थान पर 50 होगा। ओ0बी0सी0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. हिन्दी विषय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
57	501809	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 54 के स्थान पर 44 होना चाहिए। ओ0बी0सी0/उ0म0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 17.12.2021 का ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। 3. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 4. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र, हिन्दी विषय में ओ0बी0सी0/उ0म0 श्रेणी की API कटऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
58	501814	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।

59	501829	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 03.03.2021 का ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओबीसी श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओबीसी प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
60	501899	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 10 अंकों के दावे में से 01 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 92 होना चाहिए। सामान्य श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित श्रेणी के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
61	501944	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 29.08.2019 का ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओबीसी श्रेणी से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/आख्या, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं (7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
62	501977	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी से स्नातक की उपाधि वांछित है 2. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.12.2021 को जारी अनुजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का है, 3. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व जारी किया गया अनुजाति प्रमाण पत्र अथवा ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व अनुजाति श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र/आख्या वांछित है। 4. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व का अनुजाति प्रमाण पत्र एवं स्नातक उपाधि प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
63	502040	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
64	502152	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अवार्ड के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 47 के स्थान पर 44 होना चाहिए। अनुजाति में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. हिन्दी विषय के लिए अनुसूचित जाति के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
65	502205	<ol style="list-style-type: none"> 1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 10 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल

		<p>API स्कोर 51 के स्थान पर 41 होना चाहिए। अनु0 जाति में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अनुसूचित जाति के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
66	502211	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अवार्ड के लिए किये गये 03 अंकों के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 94 के स्थान पर 91 होना चाहिए। सामान्य जाति में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</p> <p>2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित जाति के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
67	502256	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
68	502240	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
69	502299	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन का दावा किया गया है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के 04 अंक में से 03 अंक के दावे को सही माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 52 के स्थान पर 51 होगा। अ0पि0व0 श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 52 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>3. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>4. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने तथा हिन्दी विषय की अ0पि0व0 श्रेणी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
70	502350	<p>1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत टीचिंग अनुभव के लिए किये गये 10 अंकों के दावे में से 6 अंक के दावे को एवं अवार्ड के लिए किये गये 3 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 84 होना चाहिए। सामान्य श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API</p>

		कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. हिन्दी विषय के लिए अनारक्षित जाति के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
71	502359	1. विषय-विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिसर्च पब्लिकेशन के लिए किये गये 06 अंकों के दावे में से 01 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 47 के स्थान पर 46 होना चाहिए। अनु0जाति श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 47 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है। 2. हिन्दी विषय के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जाति/उ0 महिला के API स्कोर के कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
72	502363	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
73	502381	1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 3. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.02.2022 का भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी ओ0बी0सी0 श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का है। 4. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है। 5. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के बिन्दु संख्या-10(3) एवं 10(7) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।

2-शुद्धि पत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा दिव्यांगजन के पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे जिसके क्रम में शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2023 को घोषित किया गया। तदक्रम में सन्निरीक्षा के उपरान्त **असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी (HINDI) विषय** के कतिपय अभ्यर्थियों को तालिका के **कॉलम-03** के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अनर्ह कर दिया गया है:-

S NO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1	520450	1. अभ्यर्थी द्वारा ए0पी0आई0 स्कोर के अन्तर्गत संबंधित विषय में नेट का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 19.02.2022 को जारी यू0जी0सी0 नेट परिणाम की प्रति संलग्न की गयी है जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के बाद निर्गत की गयी है। अतः अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व निर्गत नेट उपाधि वांछित है।

		<p>2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जिसके क्रम में दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं यू0जी0सी0 नेट की उपाधि उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
2	520451	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपेक्षित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजन की ओ0ए0 श्रेणी का दावा किया है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के सापेक्ष Right upper/lower limb का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जिसके क्रम में दिव्यांगजन की ओ0ए0 श्रेणी का प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन की ओ0ए0 श्रेणी का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
3	520452	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय)चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र, स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजन की ओ0ए0(OA) श्रेणी का दावा किया है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा उक्त के सापेक्ष Post polio Residual paralysis lower limb का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जिसके क्रम में दिव्यांगजन की ओ0ए0 श्रेणी का प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>4. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>5. पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र, विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन की ओ0ए0(OA) का प्रमाण पत्र, स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
4	520453	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजन की ओ0ए0(OA) श्रेणी का दावा किया गया है जबकि ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष UNIQUE DISABILITY ID, GOVERNMENT OF INDIA की छायाप्रति संलग्न की गयी है जिसमें दिव्यांगता श्रेणी 'PHYSICAL IMPAIRMENT' अंकित है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी से ओ0ए0 श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र वांछित है। आदेशार्थ ।</p> <p>2. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं ओ0ए0 श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</p>
5	520454	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजन की ओ0ए0 (OA) श्रेणी का दावा किया गया है जबकि ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष दिव्यांगता श्रेणी हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र में दिव्यांगता श्रेणी का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। तथा उक्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से पूर्व दिनांक 13.10.1999 का प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी से दिव्यांगता श्रेणी हेतु उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर नवीन</p>

		प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र एवं ओ0ए0 श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।
--	--	---

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को **दिनांक 21 जुलाई, 2023 के सांय 06:00 बजे तक** (शुक्रवार) व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।